

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र बोला

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.रामाराम पुत्र शंभूराम 2 सरदाराराम पुत्र शंभूराम 3 केसराराम पुत्र शंभूराम 4 शेराराम पुत्र महेन्द्राराम 5 केसराराम पुत्र महेन्द्राराम जाति रबारी निवासी तिरसिंगड़ा तहसील व जिला बाड़मेर		1. देवाराम पुत्र खुमाराम जाति जाट 2. रतनाराम पुत्र केसराराम जाति जाट 3 किरस्तुराराम पुत्र केसराराम जाति जाट 4 विरमाराम पुत्र केसराराम जाति जाट 5 आसुराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट 6 गफुराराम पुत्र मिश्रीराम जाति भील 7 नगाराम पुत्र मिश्रीराम जाति भील निवासीयान तिरसिंगड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-299/2019 दिनांक-18.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा तिरसिंगड़ा पटवार हल्का बोला तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 15 रकबा 01.07 बीघा, खसरा नंबर 18 रकबा 37.05 बीघा, खसरा नंबर 22 रकबा 07 बीघा, खसरा नंबर 23 रकबा 23.10 बीघा, रकबा 62.09 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/6384-6387 दिनांक- 18/11/2021
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बोला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी रामाराम पुत्र शंभूराम वगैराह जातियान रबारी निवासीयान तिरसिंगड़ा तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी देवाराम पुत्र खुमाराम वगैराह जातियान जाट/भील निवासीयान तिरसिंगड़ा तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर